श्री आलोक रंजन घोष, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 11.02.2021 को बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति संबंधी सी. डब्ल्यू.जे.सी. मामले/अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नयी अनुज्ञप्ति एवं अन्य मामलों से संबंधित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति:– (1) जिला पदाधिकारी, खगड़िया सह अध्यक्ष।
(2) जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया सह सचिव।
(3) जिला प्रबंधक बिहार राज्य खाद्य निगम, खगड़िया।
(मनोनित अनुसूचित जाति के सदस्य)
(4) अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया (सदस्य)।
(5) प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी (सदस्य)।
(6) जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया (सदस्य)।

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्तरीय चयन समिति, खगड़िया द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

1. अनुकम्पा से संबंधित मामले :–

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता के चयन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के अनुशंसा के साथ प्राप्त अभिलेखों को उपस्थापित किया गया। विभागीय पत्रांक 4842/खाद्य दिनांक 25.09.2017 में स्पष्ट है कि मृत जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्तिधारी के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली के नियुक्त मामले में शैक्षणिक योग्यता इत्यादि से संबंधित अर्हता बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधिसूचित होने की तिथि (14 मार्च 2016) के बाद अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने के सभी मामलों में उम्र, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि की अर्हता वही होगी जो बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के द्वारा निर्धारित है।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 10 में अनुकम्पा के आधार पर उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु किसी अनुज्ञप्तिधारी की 58 (अन्ठावन) वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर उसकी दुकान प्राथमिकता के आधार पर मृत अनुज्ञप्तिधारी की पत्नी/पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पुत्रवधू और पुत्र की विधवा पत्नी को आवंटित की जा सकेगी। उपर्युक्त में एक से अधिक आश्रित हो, तो शेष से एक के पक्ष में हक छोड़ने के लिए शपथ पत्र लेना आवश्यक होगा। अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की तिथि से दो वर्ष के भीतर ही आश्रित द्वारा आवेदन पत्र देने पर उस पर विचार किया जायेगा। यदि स्वीकृत होती है, तो उचित मूल्य की दुकान की ऐसी अनुज्ञप्ति एक नई अनुज्ञप्ति होगी और आगे भी अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञेय होगी किन्तु मृत अनुज्ञप्तिधारी के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में या सरकारी लाभ के पद पर हो, तो ऐसे परिवार को अनुकम्पा का लाभ नहीं मिलेगा।

बैठक में चयन समिति द्वारा बैठक में कुल 05 (पाँच) अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जो निम्न प्रकार है :–

| क्र0 | प्रखंड | पंचायत | आवेदक का नाम | मृतक अनुज्ञप्तिधारी का नाम | संबंध |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | खगड़िया | धुसमुरी विशनपुर | गिरीश कुमार | महेश्वर साह | पुत्र |
| 2 | अलौली | हरिपुर | पंकज कुमार | सुरेश प्रसाद सिंह | पुत्र |
| 3 | बेलदौर | माली | मो0 आलम | इसमाईल उद्दीन | पुत्र |
| 4 | बेलदौर | कुर्बन | बिरो कुमार | महाराज सदा | पुत्र |
| 5 | गोगरी | जमालपुर गोगरी, वार्ड नं0–18 | रेणु गुप्ता, पति–स्व0 मनोज कुमार साह | नागेश्वर प्रसाद साह | पुत्र की विधवा पत्नी |

**गिरीश कुमार, पिता–महेश्वर साह** :– अंचलाधिकारी, खगडेया द्वारा निर्गत अनियोजन प्रमाण पत्र में अंकित है कि आवेदक की दूसरी माँ का पुत्र सरकारी सेवा (रेलवे) में कार्यरत है। चुंकि बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के कंडिका 10 के आलोक में मृतक अनुज्ञप्तिधारी की दुसरी पत्नी का पुत्र भी मृतक के आश्रित परिवार की श्रेणी में आता है, **अतः उक्त कंडिका 10 के आलोक में इनके आवेदन को सर्वसम्मति से अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।**

अन्य आवेदनों में से कई आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में मृतक अनुज्ञप्तिधारी के आश्रितों यथा आवेदक तथा अन्य आश्रितों के हस्ताक्षर नमूना में समानता पाया गया। अतः समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु मृतक अनुज्ञप्तिधारी के सभी आश्रितों यथा पत्नी/पति, पुत्र अविवाहित पुत्री, पुत्रवधू और पुत्र की विधवा पत्नी को एक साथ समिति के समक्ष बुलाया जाए ताकि उनका सही पहचान किया जा सके। आवेदक एवं अन्य आश्रित को चयन समिति के समक्ष बुलायें जाने हेतु आवेदक के नाम से नोटिस निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया। अन्य आश्रित को समिति के समक्ष लाने की पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। इसका अनुपालन अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से करायेंगे। साथ ही स्वीकृत/अस्वीकृत आवेदन को संबंधित अनुमंडल कार्यालय वापस किया जाता है।

2. <u>पूर्व में निर्गत आदेश में आंशिक संशोधन से संबंधित मामले</u> :–

**राजा कुमार, पिता–चन्द्रमणि कुमार** :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा समिति को बताया गया कि दिनांक 31.12.2020 को चयन समिति की बैठक में अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली दुकान की नई अनुज्ञप्ति हेतु राजा कुमार, पिता–स्व0 चन्द्रमणि कुमार (मृतक अनुज्ञप्तिधारी), पंचायत– रामपुर अलौली, प्रखंड–अलौली के आवेदन को स्वीकृत किया गया था जो दिनांक 31.12.2020 के कार्यवाही ज्ञापांक 02(मु0)/जि0आ0 दिनांक 01.01.2021 में स्वीकृत/अस्वीकृत सूची में क्रमांक 01 एवं कंडिका 01 पर अंकित है। आवेदक राजा कुमार के द्वारा आवेदन देकर सूचित किया गया कि वे अलौली पंचायत अन्तर्गत आते हैं, न कि रामपुर अलौली पंचायत अन्तर्गत। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया ने भी अपने पत्रांक 21/अनु0आपूर्ति दिनांक 04.02.2021 द्वारा इसकी पुष्टि करते हुए सूचित किया है कि मृतक अनुज्ञप्तिधारी चन्द्रमणि कुमार की मूल अनुज्ञप्ति अलौली पंचायत हेतु पूर्व से निर्गत है। चयनित अभ्यर्थी राजा कुमार के पंचायत का नाम टंकण त्रुटिवश रामपुर अलौली अंकित हो गया है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा राजा कुमार के पंचायत के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए पंचायत का नाम अलौली करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**इस पर सर्वसम्मति से आवेदक राजा कुमार, पिता–चन्द्रमणि कुमार के पंचायत का नाम में संशोधन करते हुए पंचायत का नाम अलौली करने का निर्णय लिया जाता है।**

3. <u>लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली दुकान की नई अनुज्ञप्ति से संबंधित मामले</u> :– दिनांक 31.12.2020 को चयन समिति की बैठक में पंचायत–मुश्कीपुर, प्रखंड–गोगरी अन्तर्गत पूर्व में चयनित अभ्यर्थी श्रीमती रंजन कुमारी, पति–दिवाकर चौरसिया, ग्राम–बड़ी मलिया, मुश्कीपुर, जिला–खगड़िया के चयन को रद्द किया गया था और विचारोपरान्त इनके स्थान पर अधिक मेधा रखने वाले श्री कुन्दन कुमार, पिता–स्व0 जितेन्द्र पोद्दार, ग्राम–मुश्कीपुर, थाना–गोगरी का चयन करने का निर्णय लिया गया था।

श्रीमती रंजन कुमारी, पति दिवाकर चौरसिया द्वारा दिनांक 31.12.2020 में लिये गये निर्णय के उपरान्त आवेदन पत्र देकर अनुरोध किया गया कि उनके द्वारा मुश्कीपुर पंचायत अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग महिला कोटि में आवेदन किया गया था किन्तु इनका चयन सामान्य कोटि में करते हुए जन वितरण प्रणाली दुकान की नई अनुज्ञप्ति सं0–26G/2019 निर्गत किया गया। श्रीमती कुमारी द्वारा उक्त पंचायत अन्तर्गत मूल आवेदन के आधार पर रिक्त रह गये पिछड़ा वर्ग (महिला) कोटि अन्तर्गत चयन करने हेतु अनुरोध किया गया है। अनुमंडल कार्यालय गोगरी से रंजन कुमारी के आवेदन की छायाप्रति प्राप्त कर आवेदन, मेधा सूची एवं अनुमोदित रोस्टर का अवलोकन किया गया, जिसमें आवेदिका द्वारा उठाये गये बिन्दु को सही ठहराया गया। चुकि PDS Act-2016 के कंडिका 6(iv) में उल्लेख है कि "पिछड़े वर्ग की महिलाओं में पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की महिलायें शामिल मानी जायेंगी।"

सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से श्रीमती रंजन कुमारी, पति–दिवाकर चौरसिया, ग्राम–बड़ो मलिया, मुश्कीपुर, जिला–खगड़िया का रिक्त रह गये अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग महिला कोटि अन्तर्गत चयन करने का निर्णय लिया गया।

4. <u>माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद से संबंधित मामले :–</u>

पिंकी देवी, पति–प्रमोद कुमार द्वारा पी.डी.एस. आपूर्ति अपील संख्या–89/2019 में प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर द्वारा दिनांक 10.12.2019 पारित आदेश एवं दिनांक 10.07.2019 को चयन समिति के निर्णय जिनमें पिंकी देवी के आवेदन को जन वितरण प्रणाली की दुकान हेतु अस्वीकृत किया गया था के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में Writ दायर किया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकान हेतु प्राप्त पिंकी देवी के आवेदन को समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया। पिंकी देवी पंचायत झिकटिया, प्रखंड गोगरी अंतर्गत जन वितरण प्रणाली के दुकान हेतु अत्यन्त पिछडा वर्ग अन्तर्गत आवेदिका थी। उक्त पंचायत की मेधा सूची एवं अनुमोदित रोस्टर का अवलोकन किया गया। उक्त पंचायत अन्तर्गत कुल 04 रिक्तियॉ थी, जिनमें से पिंकी देवी को पिछड़ा वर्ग (महिला) कोटि में मानते हुए मेधा सूची तैयार की गई। अनारक्षित कोटि अन्तर्गत वे 17वें स्थान पर हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि झिकटिया पंचायत अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला) कोटि की महिला का अनारक्षित कोटि में चयन हो जाने के उपरान्त यह कोटि रिक्त रह गया है।

सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से पिंकी देवी, पति–प्रमोद कुमार, ग्राम–झिकटिया, प्रखंड–गोगरी का चयन झिकटिया पंचायत अन्तर्गत रिक्त रह गये कोटि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला) कोटि अन्तर्गत करने का निर्णय लिया गया।

इसके साथ ही धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

| | | |
|---|---|---|
| 18/02/2021<br>जिला सहकारिता पदाधिकारी,<br>खगड़िया। | 11/2/21<br>अनुमंडल पदाधिकारी,<br>खगड़िया। | 11/2/21<br>प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी<br>गोगरी। |
| 11/2/21<br>जिला प्रबंधक,<br>राज्य खाद्य निगम, खगड़िया।<br>(मनोनित सदस्य) | 11/2/21<br>जिला आपूर्ति पदाधिकारी,<br>खगड़िया। | 11/2/21<br>जिलाधिकारी<br>खगड़िया। |

ज्ञापांक 103 /जि0आ0 दिनांक 11.2.21

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, खगडिया/अनुमंडल पदाधिकारी, खगडिया/गोगरी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगडिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि इसे जिला के वेबसाईट पर अपलोड करेंगे।

11/2/21
जिलाधिकारी
खगड़िया।